

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

राजभूमि वनाम पानणमल खादि

दावा बाबत :- 88 RJA Act

मुकदमा नम्बर :- 354/2021

निर्णय दिनांक :- 6-12-2021

वादी की ओर से वकील राजभूमि खादि की व प्रतिवादी सं० 1/118 की ओर से वकील जगद्वि इंसान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 6-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रही मौजा उंगराना के खाला सं० 122/116 के खसरा सं० 578 की पं० 5820 है खसरा सं० 633 की 6/1330 है कुल 6/7150 है वाराणा खालेवाला हवि मुक्ति प्रतिवादी सं० पानण के नाम से राजस रिकार्ड में भूज है भू स प्रतिवादी सं० पानण के बाजार वादी राजभूमि व प्रतिवादी सं० पानणमल, प्रतिवादी सं० 3 सुवण कुमार व प्रतिवादी सं० 8 खोडू राम को बहिस्सा कराकर के खालेवाला काश्तकार कोषित किया जात है कि प्रतिवादी सं० 2/116 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1, 7 व 8 के पक्ष में लगा कर ग्रहण कर लिया है इसलिए लडाग किम गाय हिस्से पर मेजागन विभागा का दायें प्रमाण प्रकृत्य असा करे व यदि कृषि भूमि सौंके के खन से तो खनमुस होने के उपरान्त ही राजस रिकार्ड में डोगल सार्ध किया जाये राजनामा का डिन का लाग पडा जाये

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S. सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा जिला अनुसंधान गढ़ कैम्प